[2021] 9 एस. सी. आर. 1060

यू. पी. अवास इवाम विकास प्रसाद थ्रू

आवास आयुक्त और ए. एन. आर.

बानाम

नूर मोहम्मद और ओआरएस।

(2011 की सिविल अपील संख्या 8083)

16 दिसंबर, 2021

[हेमंत गुप्ता और वी. रामसुब्रमणियन, जे. जे.]

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894। 48 (1) , 4 , 6 – संयुक्त प्रांत नगर सुधार अधिनियम, 1919। 36 , 42- अधिसूचना जारी की गई यू /

एस। 48 (1) , 1894 प्रत्यर्थियों की भूमि को जारी करने के लिए अधिनियम-अधिग्रहण से भूमि मालिक-हालांकि, एक अन्य अधिसूचना द्वारा

उपरोक्त अधिसूचना को रद्द कर दिया गया था-भूमि मालिकों द्वारा चुनौती दी गई अंतिम अधिसूचना, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा दरकिनार कर दिया गया था-अपील पर अभिनिर्धारित किया गया: पहली अधिसूचना उत्तरदाताओं द्वारा झूठे अभ्यावेदन और धोखाधड़ी करके सुरक्षित की गई थी-जब उत्तरदाता अधिग्रहण को रोकना चाहते थे, तो उन्होंने दावा किया कि उनके पूर्वजों के कब्रिस्तान थे-हालाँकि, पहली अधिसूचना जारी होने के बाद उन्होंने भूमि को तीसरे पक्ष को बेचना शुरू कर दिया, जो उत्तरदाताओं के साथ समान धार्मिक भावनाओं को साझा नहीं करते हैं। धोखाधड़ी और गलत निरूपण किसी भी निहित अधिकार को प्रदान नहीं करेगा-इस प्रकार, भूमि मालिक या तो निहित के आधार पर या Art.300A के आधार पर अपना दावा नहीं कर सकते हैं-उन्हें यह तर्क देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि भूमि का अधिग्रहण केवल अधिग्रहण की एक नई प्रक्रिया के माध्यम से किया जा सकता है-उच्च न्यायालय के विवादित आदेशों को दरकिनार कर दिया गया-प्रत्यर्थियों द्वारा दायर रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया गया-भारत का संविधान

Art.300A।

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894। 48 (1) - अधिसूचना, यदि एक अर्ध-न्यायिक आदेश-आयोजित किया जाता है: नहीं-इस प्रकार, तर्क है कि

सरकार एस पर वापस नहीं आ सकती है। 21 , सामान्य खंड अधिनियम से

एक आदेश यू/रद्द करें धारा 48 (1) को अस्वीकार कर दिया गया है-सामान्य खंड अधिनियम - एस. 21

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894। 4 (1) , 48 (1) – अधिसूचना यू / एस. 4 (1) बनाम-ए-बनाम यू / धारा 48 (1)-चर्चा की गई।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: 1.1 अधिसूचना जारी करने की शक्ति में अधिसूचना को रद्द करने की शक्ति शामिल होगी। यह स्थिति नहीं थी

7.04.2003 . इसलिए, उन्हें यह तर्क देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि भूमि का अधिग्रहण केवल अधिग्रहण की एक नई प्रक्रिया के माध्यम से किया जा सकता है। पहली अधिसूचना उत्तरदाताओं द्वारा गलत तरीके से सुरक्षित की गई थी। प्रतिनिधित्व और धोखाधड़ी खेलकर। जब उत्तरदाता अधिग्रहण को रोकना चाहते थे, तो उन्होंने दावा किया कि उनके पूर्वजों के कब्रिस्तान थे, लेकिन पहली अधिसूचना जारी होने के बाद, उन्होंने भूमि को तीसरे पक्ष को बेचना शुरू कर दिया, जो समान धार्मिक भावनाओं को साझा नहीं कर सकते हैं और न ही कर सकते हैं।

उत्तरदाताओं। दूसरी अधिसूचना दिनांक 15.09.2005 जो इसमें भूमि मालिकों द्वारा की गई बिक्री की सूची होती है। आवास आयुक्त द्वारा की गई जांच से पता चला है कि [2021] 9 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भू-माफियाओं ने जमीन पर कब्जा कर लिया है। धोखाधड़ी और गलत निरूपण द्वारा प्राप्त आदेश किसी भी निहित अधिकार को प्रदान नहीं करेगा और इसलिए, भूमि मालिक निहित होने के आधार पर या अनुच्छेद 300 ए के आधार पर अपना दावा नहीं कर सकते हैं। [पैरा 15,24] [1069-डी-एफ; 1072-सी-ई]

मूल भूमि मालिकों को सुनवाई। यदि कोई व्यक्ति धारा 48 (1) के तहत अधिसूचना से बिल्कुल भी व्यथित होगा, तो वह अधिग्रहण का लाभार्थी होगा, जो इस मामले में परिषद है, न कि भूमि मालिक। इसलिए, यह समझा जा सकता है यदि परिषद शिकायत करती है कि धारा 48 (1) के

तहत अधिसूचना द्वारा उनके अधिकार छीन लिए गए थे, विशेष रूप से उनके पास निहित भूमि के बाद। इसलिए, यह तर्क कि धारा 48 (1) के तहत अधिसूचना एक अर्ध-न्यायिक आदेश है, खारिज कर दिया जाता है। ए के रूप में परिणामस्वरूप, यह तर्क कि सरकार धारा 48 (1) के तहत किसी आदेश को निरस्त करने के लिए सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 से पीछे नहीं हट सकती है, खारिज कर दिया जाता है। [पैरा 20,22] [1070-एफ; 1071-सी, एफ-एच; 1072-ए-बी]

औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम

(ग्वालियर) एम. पी. लिमिटेड बनाम सीआईटी (2018) 4 एससीसी 494: [2018] 10 एससीआर 481; एच. सी. सुमन बनाम। पुनर्वास

मंत्रालय कर्मचारी सहकारी गृह निर्माण सोसायटी लिमिटेड नई दिल्ली और अन्य। (1991) 4 एससीसी 485: [1991] 3 एससीआर

839 – अप्रयोज्य रखा गया।

3. उच्च न्यायालय के विवादित आदेशों को दरकिनार कर दिया जाता है और प्रतिवादियों द्वारा दायर रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया जाता है।

चूंकि अधिग्रहण हर तरह से पूरा हो चुका है, इसलिए यू. पी. अवास एवं विकास परिषद ने आवास आयुक्त बनाम. नूर मोहम्मद

अपीलार्थी उस सार्वजनिक उद्देश्य को लागू करने के लिए आगे बढ़ सकता है जिसके लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया था। [पैरा 27] [1073-बी-सी]

मुथा एसोसिएट्स और ओआरएस। बनाम महाराष्ट्र राज्य और ओआरएस। (2013) 14 एससीसी 304: [2013] 10 एससीआर 1051

संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[2018] 10 एससीआर 481

अप्रयोज्य रखा गया

पैरा 17

अप्रयोज्य रखा गया

[1991] 3 एससीआर 839

पैरा 18

[2013] 10 एससीआर 1051

संदर्भित किया गया है

पैरा 25

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील No.8083

2011 से।

उच्च न्यायालय के 31.08.2010 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2005 की रिट याचिका No.64727 में इलाहाबाद में न्यायिक कार्य।

के साथ

2011 की सिविल अपील No.8072।

विश्वजीत सिंह, पंकज सिंह, सुश्री वीणा कौल सिंह, अधिवक्ता। के लिए

अपीलार्थी।

कृष्णम मिश्रा, परम कुमार मिश्रा, सुश्री शर्मिला उपाध्याय,

आनंद वर्मा, सुश्री चित्रांका नाइक, सुश्री अपूर्वा पांडे, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

वी. रामसुब्रमण्यन, जे.

1. यू. पी. आवास एवं विकास परिषद, जो एक वैधानिक प्राधिकरण है

आवास और विकास के लिए उत्तर प्रदेश राज्य का गठन हुआ है वर्तमान अपीलों के साथ, इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के आदेशों को चुनौती देते हुए, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 48 (1) के तहत जारी पिछली अधिसूचना को रद्द करने वाली अधिसूचना को रद्द करते हुए, जिसमें प्रत्यर्थियों की भूमि को अधिग्रहण से मुक्त करने के लिए कहा गया है।

2. हमने श्री विश्वजीत सिंह, विद्वान वकील को पेश होते सुना है।

अपीलार्थियों के लिए और श्री कृष्णम मिश्रा और श्री आनंद वर्मा, प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील।

3. राज्य द्वारा एक अधिसूचना दिनांक 25.07.1964 जारी की गई थी।

संयुक्त प्रांत शहर की धारा 36 के तहत सरकार

मिर्जापुर गाँव, [2021] 9 एस. सी. आर. में कुल 1.8 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिए सुधार अधिनियम, 1919 (इसके बाद "यू. पी. अधिनियम" के रूप में संदर्भित)।

तहसील-सदर, जिला गोरखपुर आवास/आवासीय आवास प्रदान करने के सार्वजनिक उद्देश्य के लिए। यह अधिसूचना अनुभाग के समान है। 4 (1) भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894।

4. उपरोक्त अधिसूचना के बाद उत्तर प्रदेश अधिनियम की धारा 42 के तहत एक और अधिसूचना जारी की गई, जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 6 के बराबर है। ऐसा प्रतीत होता है कि

घोषणा किए जाने से पहले आपातकालीन खंड लागू किया गया और जांच को समाप्त कर दिया गया। एक टुकड़े वाले भूखंड No.292/2 को छोड़कर पूरी भूमि का कब्जा, जिसकी सीमा 0.028 एकड़ तक है, राज्य सरकार द्वारा 24.07.1970 पर ले लिया गया और 30.03.1971 पर एक पुरस्कार भी पारित किया गया।

5. वर्ष 1983 से, भूमि मालिकों ने अधिग्रहण से भूमि को मुक्त कराने का प्रयास किया, लेकिन युद्ध में भाग्य में उतार-चढ़ाव आया।

15.09.2005 इस आधार पर कि भूमि मालिकों ने भूमि को जारी करने की मांग करते हुए गलत अभ्यावेदन देकर धोखाधड़ी की थी, 07.04.2003 की अधिसूचना को रद्द करना।
7. उक्त अधिसूचना दिनांक 15.09.2005 को चुनौती देते हुए, मूल भूमि मालिकों ने 2005 के W. P. (C) No.64727 में एक रिट याचिका दायर की और

मूल मालिकों से भूमि के एक हिस्से के खरीदार ने 2008 के डब्ल्यू. पी. No.50151 में एक और रिट याचिका दायर की। इन दोनों रिट याचिकाओं को उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा दिनांक 1 के एक आदेश द्वारा अनुमति दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि एक बार अधिग्रहित भूमि अधिग्रहण से मुक्त हो जाने के बाद, अधिसूचना के माध्यम से, सरकार अधिग्रहण की एक नई प्रक्रिया शुरू करके ही भूमि को पुनः प्राप्त कर सकती है। उक्त आदेश से व्यथित, आवास और विकास प्राधिकरण उपरोक्त अपीलों के साथ आया है।

8. विचार के लिए प्रतिद्वंद्वी दलीलों को संबोधित करने से पहले, उस पृष्ठभूमि को रिकॉर्ड पर लाना आवश्यक हो सकता है जिसमें भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 48 (1) के तहत मूल अधिसूचना दिनांक 07.04.2003 पारित की गई थी और बाद की अधिसूचना जारी करने के कारण। दिनांकित 15.09.2005 पिछले एक को रद्द कर रहा है।

इस पृष्ठभूमि के साथ-साथ यू. पी. अवास इवाम विकास परिषद ने घर के माध्यम से

आई. एम. आई. एस. आई. एन. आर. वी. नूर मोहम्मद [वी. रामसुब्रमण्यन, जे.]

दिनांकित दूसरी अधिसूचना में कारण बहुत स्पष्ट रूप से बताए गए हैं।

. 2005 और, इसलिए, इसे निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:

" मिर्जापुर/बेतियाटाटा गाँव, गोरखपुर में भूमि थी

उत्तर प्रदेश की बेटीहाटा दक्षिण योजना, गोरखपुर के लिए उत्तर प्रदेश नगर सुधार अधिनियम, 1919 के प्रावधानों के तहत अधिग्रहण।

आवास एवं विकास परिषद और बाद में 8.6.1965 पर, यह था

योजनाबद्ध रूप से यू. पी. आवास एवं विकास परिषद को हस्तांतरित किया गया

क्षेत्र का विकास। राज्य सरकार ने जारी किया भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 17 के तहत अधिसूचना सं. 93 का/37-19 (1) (16)-66 दिनांक 13.1.1970।

संबोधित एक पत्र के साथ 28.2.83 दिनांकित एक आवेदन

उक्त भूमि पर वनस्पति/बागवानी। उनके परिवार में 20 सदस्य हैं और उनमें से किसी के पास अपना घर नहीं है और वे जमीन पर घर बनाकर वहां रहेंगे। इसके बाद से प्राप्त आवेदनों पर उचित विचार

आवेदकों, सरकार ने जी. ओ. नं. जारी किया। 472 / 37-2-85-3 एच. बी. (108)/83 दिनांकित 30.01.85 जिससे उपरोक्त को छूट मिलती है।

अधिग्रहण से खसरा इस शर्त के साथ कि जमीन के मालिक जमीन नहीं बेचेंगे। उपरोक्त के बाद

जी. ओ., आवास आयुक्त, यू. पी. अवस इवाम विकास

उपरोक्त जी. ओ. दिनांक 30.01.85 को रद्द करना और तदनुसार, सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट द्वारा 27.6.85 दिनांकित संशोधन आदेश जारी किया गया था।

एस सी आर।

सरकार जिसके द्वारा पूर्ववर्ती जी. ओ. दिनांक 30.1.85 को रद्द किया गया जिसमें यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि विवादित भूमि पर यदि कोई मौजूद है तो बाज़ार को छोड़कर योजना के लेआउट मानचित्र को संशोधित किया जा सकता है।

उपरोक्त आदेश के बाद, आवेदकों ने रिट याचिका सं. 19757 / 1985 माननीय उच्च न्यायालय में। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में, आवेदकों के संयुक्त प्रतिनिधित्व पर गंभीर विचार करने के बाद, इसे 21.12.91 पर खारिज कर दिया गया था। आवेदकों ने फिर से रिट याचिका सं. 5002/1992 माननीय से पहले

उच्च न्यायालय जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने 19.5.99 पर आदेश को "वापस लेने के रूप में खारिज" कर दिया।

इसके बाद, सरकार ने समय-समय पर आवेदकों द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों की समीक्षा की। अपने अभ्यावेदन में, आवेदकों ने मुख्य रूप से कहा था कि वे गरीब बेरोजगार व्यक्ति थे। उनके परिवार का कोई सदस्य नहीं सरकारी नौकरी में थे। उपरोक्त भूमि उनकी आजीविका का एकमात्र स्रोत थी और वे उक्त भूमि पर वनस्पति/बागवानी के माध्यम से अपनी आजीविका कमाते हैं। 20 हैं।

उनके परिवार के सदस्यों और उनमें से किसी के पास अपना घर नहीं है और वे जमीन पर घर बनाकर वहां रहेंगे। भूमि पर उनके पूर्वजों के कब्रिस्तान मौजूद हैं और सरकार की सामान्य नीति के अनुसार ऐसी भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। अभ्यावेदन में निहित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और उचित विचार के बाद, अधिसूचना

नहीं। 1049 / 9 - एए-2-2003-3 एचबी (एबी)/83 दिनांक 7 अप्रैल 1983 को खसरा संख्या को छूट देने के लिए जारी किया गया था। 257 (रक्बा 0.51 एकड़), खसरा नं. 254 (रक्बा 0.30 एकड़), खसरा नं. 255/1 (रकबा 0.18 एकड़), खसरा नं. 255/2 (रकबा 0.18 एकड़), खसरा नं. 291/1 (रकबा 0.31 एकड़), खसरा नं. 291 / 2 (रकबा 0.31 एकड़), खसरा नं. 292/1 (रकबा 0.003 एकड़), खसरा नं. 292/2 (रकबा 0.003 एकड़) अधिग्रहण से कुल रकबा 1.85 एकड़ भूमि।

अधिसूचना के पारित होने के बाद, यह ध्यान में आया कि सरकार ने विभिन्न स्रोतों से कहा कि उपरोक्त छूट प्राप्त भूमि का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा था और

भू-माफिया अवैध निर्माण कर जमीन खरीद-बेच रहे थे। शिकायतों को ध्यान में रखते हुए, आवास आयुक्त और यू. पी. अवास इवाम विकास से पूछताछ की गई।

आई. एम. आई. एस. आई. एन. आर. वी. नूर मोहम्मद [वी. रामसुब्रमण्यन, जे.]

भूमि की अद्यतन स्थिति मांगी गई थी। आवास

आयुक्त ने अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जिससे उन्हें सूचित किया गया

निम्नानुसार:

क) खसरा सं. की कुल 1.17 एकड़ भूमि में से 1 एकड़। 254 (रक्बा 030 एकड़), खसरा नं. 255 (रकबा 0.36 एकड़), खसरा नं. 257 (रकबा 0.51 एकड़)} 23.4.2003 पर बेच दिया गया था

समझौता विलेख।

ख) 5220 वर्ग कि. मी. फीट। खसरा नं. से भूमि। 255 इसे रजिस्ट्री के माध्यम से 29.4.2004 पर श्री श्रवण पुत्र जैकेट, जिला को बेचा गया था। देवरिया। (c) 2370

वर्ग कि. मी. फीट। खसरा नं. से भूमि। 254 श्री बजरंग प्रसाद गुप्ता पुत्र श्री महावीर प्रसाद को 16.9.2004 पर रजिस्ट्री के माध्यम से बेचा गया था।

(घ) 9000 वर्ग कि. मी. फीट। खसरा नं. से भूमि। 254 और 255 को रजिस्ट्री के माध्यम से 21.9.2004 पर श्रीमती को बेच दिया गया था। ललिता छाबरिया बनाम श्री हरि प्रसाद छाबरिया। ई) खसरा सं. का पूरा रक्बा 0.51। 257 के माध्यम से बेचा गया

श्रीमती को रजिस्ट्री एन 16.9.2004। वर्तिका सिंह/श्री कृष्ण

सिंह और श्री बृजेश कुमार सिंह पुत्र श्री शिव पूजन

सिंह।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि आवेदकों द्वारा सरकार के समक्ष रखे गए तथ्य, जिनके आधार पर उनकी भूमि अधिग्रहण से जारी की गई थी। 7.4.2003 , वे भ्रामक और झूठे थे। आवेदक भूमि को छोटे भूखंडों में विभाजित करके बेचने की प्रक्रिया में हैं।

और वे न तो अपनी आजीविका कमाने के लिए भूमि का उपयोग करते हैं

वनस्पति के माध्यम से या किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं।

इसलिए, उचित विचार के बाद, उत्तर के राज्यपाल

प्रदेश को रद्द करने की मंजूरी देने में खुशी हुई है उपरोक्त अधिसूचना सं। 1049 / 9 - एए-2-2003-3 एचबी (एबी)/83 दिनांक 7 अप्रैल, 1983 को उपरोक्त जारी करने के संबंध में जारी किया गया।

अधिग्रहण से भूमि।

9. जिस मुख्य आधार पर उच्च न्यायालय ने दूसरे अधिनिर्णय दिनांक (आई. डी. 1) को रद्द कर दिया, वह यह था कि एक बार भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के 48 (1) के तहत अधिसूचना जारी होने के बाद, भूमि अधिग्रहण जारी हो जाता है और इसलिए, राज्य सरकार द्वारा भूमि को पुनः प्राप्त करने का एकमात्र तरीका नए सिरे से अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करना है।

कानून में उल्लिखित। 10. लेकिन जहां तक पहले विवाद का संबंध है, सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 21 एक पूर्ण उत्तर है। वह इस प्रकार है:

" 21. अधिसूचनाओं, आदेशों, नियमों या उप-कानूनों को जारी करने, उनमें जोड़ने, संशोधन करने, परिवर्तन करने या निरस्त करने की शक्ति शामिल करने की शक्ति। - जहां किसी केंद्रीय अधिनियम या विनियम द्वारा अधिसूचना जारी करने की शक्ति है,
आदेश, नियम या उप-कानून प्रदान किए जाते हैं, फिर उस शक्ति में एक शक्ति शामिल होती है, जो समान तरीके से प्रयोग की जा सकती है और इसके अधीन होती है

जैसे मंजूरी और शर्तें (यदि कोई हों), जोड़ने के लिए, संशोधन करने के लिए, अलग-अलग

या किसी भी अधिसूचना, आदेश, नियम या उप-कानूनों को रद्द कर दें।

जारी किया गया "।

11. अत: अधिसूचना जारी करने की शक्ति में शामिल होगा -

अधिसूचना को निरस्त करने की शक्ति। इस स्थिति का उत्तरदाताओं द्वारा विरोध नहीं किया गया था, जब वे भूमि को मुक्त करने के लिए प्रयास कर रहे थे।

अधिग्रहण, पहले के अवसरों पर असफल साबित हुआ। एक बात के रूप में

वास्तव में, प्रत्यर्थियों द्वारा 28.02.1983 पर प्रस्तुत आवेदन पर, सरकार ने 30.01.1985 दिनांकित एक पत्र जारी कर परिषद से भूमि की छूट के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू करने का अनुरोध किया, बशर्ते कि भूमि मालिक भूमि नहीं बेचेंगे। यह शर्त इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की गई थी कि प्रत्यर्थी का अनुरोध धार्मिक भावनाओं पर आधारित था क्योंकि अधिग्रहित भूमि पर उनके लगभग 20 पूर्वजों के कब्रिस्तानों का कथित अस्तित्व था। लेकिन राज्य सरकार द्वारा 30.01.1985 पर रखे गए प्रस्ताव का परिषद ने इस आधार पर विरोध किया कि जब भूमि मालिकों ने अधिग्रहण पर आपत्ति दर्ज कराई तो किसी भी कब्रिस्तान के बारे में कोई उल्लेख नहीं था। इस तरह की आपत्तियों के आलोक में, सरकार ने 30.01.1985 दिनांकित पहले के प्रस्ताव को वापस लेने के लिए 27.06.1985 दिनांकित कार्यवाही जारी की।
12. इसलिए, भूमि मालिकों ने 1985 की सिविल विविध रिट याचिका संख्या 19757 में एक रिट याचिका दायर की, जिसमें सरकार और परिषद को उन्हें बेदखल नहीं करने का निर्देश देने की मांग की गई।

यह रिट याचिका यू. पी. आवास एवं विकास परिषद के माध्यम से आवास आयुक्त बनाम. नूर मोहम्मद [वी. रामसुब्रमण्यन, जे.]

भूमि मालिकों को एक महीने के भीतर सरकार को अभ्यावेदन दायर करने की अनुमति देते हुए और राज्य सरकार को उक्त अभ्यावेदन पर विचार करने का निर्देश देते हुए दिनांक 1 के एक आदेश द्वारा निपटाया गया था।

13. उक्त आदेश के अनुसार, भूमि मालिकों ने एक

प्रतिनिधित्व दिनांक 10.10.1988। लेकिन इसे राज्य सरकार द्वारा 21.12.1991 दिनांकित एक आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि भूमि पहले से ही परिषद में निहित थी और परिषद पहले ही मालिक बन चुकी है।

14. दिनांक 21.12.1991 के अस्वीकृति आदेश को चुनौती देते हुए, भूमि मालिकों ने डब्ल्यू. पी. में एक नई रिट याचिका दायर की। (ग) 1992 का No.5002। लेकिन द.

धारा 48 (1) के तहत अधिसूचना दिनांक 7.04.2003। दूसरे शब्दों में कहें तो भूमि मालिकों द्वारा धारा 48 (1) के तहत अधिसूचना आमंत्रित की गई थी

गलत अभ्यावेदन। भूमि मालिकों ने वास्तव में सरकार के साथ धोखाधड़ी की है और अधिसूचना दिनांक 7.04.2003 को सुरक्षित किया है। इसलिए, उन्हें यह तर्क देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि भूमि का अधिग्रहण केवल अधिग्रहण की एक नई प्रक्रिया के माध्यम से किया जा सकता है।

16. उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील-भूमि मालिक

तर्क दिया कि सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21, सरकार को अचल संपत्ति में निहित अधिकारों को प्रदान करने वाली अधिसूचना को रद्द करने के लिए एक व्यापक शक्ति प्रदान नहीं करती है, खासकर जब भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 द्वारा ऐसी शक्ति पर विचार नहीं किया जाता है। संपत्ति का अधिकार, हालांकि एक मौलिक अधिकार नहीं है, एक संवैधानिक अधिकार और एक मानव अधिकार माना जाता है और इसलिए, उत्तरदाताओं के वकील के अनुसार, सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 का सहारा लेकर इसे छीन नहीं लिया जा सकता है।

17. उपरोक्त तर्क के समर्थन में, श्री आनंद वर्मा ने उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील इस न्यायालय [2021] 9 एस. सी. आर. के निर्णय पर भरोसा करते हैं।

औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम (ग्वालियर) एम. पी. लिमिटेड बनाम सी. आई. टी. 1, जिसमें यह निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गया था:

" 21. सामान्य की धारा 21 के तहत सामान्य शक्ति

किसी अधिसूचना या आदेश को निरस्त करने के लिए खंड अधिनियम को उस विषय-वस्तु, संदर्भ और कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के प्रभाव के आलोक में समझना होगा जिसके तहत

अधिसूचना या आदेश जारी किया जाता है और शक्ति नहीं है

अधिसूचना या आदेश के तहत एक प्रवर्तनीय अधिकार अर्जित होने के बाद उपलब्ध है। इसके अलावा, धारा 21 का किसी अर्ध-न्यायिक आदेश को बदलने या संशोधित करने या समीक्षा करने के लिए कोई आवेदन नहीं है।

ऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड नई दिल्ली और Ors.2, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि किसी पक्ष के पक्ष में सृजित एक महत्वपूर्ण अधिकार, जो कानून में प्रवर्तनीय है, को सामान्य खंड अधिनियम के तहत उपलब्ध निरसन की सामान्य शक्ति के तहत बाद के आदेश द्वारा छीन नहीं लिया जा सकता है।

19. लेकिन औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम (उपरोक्त) में निर्णय धारा 12-ए के तहत पारित एक आदेश से उत्पन्न हुआ।

आय कर अधिनियम, 1961, जो मान लिया जाए तो एक अर्ध न्यायिक आदेश था। उक्त निर्णय के पैराग्राफ 19 और 20 में, इस न्यायालय ने बताया कि "धारा 12-ए के तहत सी. आई. टी. द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कार्य न तो विधायी हैं और न ही कार्यकारी, बल्कि अनिवार्य रूप से अर्ध-न्यायिक प्रकृति के हैं" और "आयकर अधिनियम की धारा 12-ए के तहत एक आदेश धारा 21 में उल्लिखित आदेशों की श्रेणी में नहीं आता है, जो अधिसूचना/नियम/उप-कानूनों की प्रकृति में होगा"।

20. लेकिन भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 48 (1) के तहत एक कार्यवाही प्रशासनिक प्रकृति की है जैसा कि भाषा से देखा जा सकता है। नौकरी करते हैं। अधिनियम की धारा 48 इस प्रकार है:

पूरा न होने पर मुआवजा दिया जाना।
(1) धारा 36 में उपबंधित मामले को छोड़कर,

सरकार इससे हटने के लिए स्वतंत्र होगी

ऐसी किसी भूमि का अधिग्रहण जिसका कब्जा नहीं किया गया हो

लिया गया।

1 (2018) 4 एस. सी. सी. 494 2 (1991) 4 एस. सी. सी. 485 यू. पी. आवास आयोग के माध्यम से आवास एवं विकास परिषद बनाम। नूर मोहम्मद [वी. रामसुब्रमण्यन, जे.]

(2) जब भी सरकार इस तरह के किसी भी कदम से पीछे हटती है
अधिग्रहण, कलेक्टर की राशि निर्धारित करेगा

नोटिस या उसके तहत किसी भी कार्यवाही के परिणामस्वरूप मालिक को हुए नुकसान के लिए देय मुआवजा,

और इच्छुक व्यक्ति को उक्त भूमि से संबंधित इस अधिनियम के तहत कार्यवाही के अभियोजन में उसके द्वारा उचित रूप से किए गए सभी खर्चों के साथ ऐसी राशि का भुगतान करेगा।

(3) इस अधिनियम के भाग III का प्रावधान, जहां तक हो सके, देय मुआवजे के निर्धारण पर लागू होगा।

इस धारा के तहत "।

धारा 48 (1) में जो प्रावधान किया गया है वह अधिग्रहण से हटने की शक्ति/स्वतंत्रता है। यह एक प्रशासनिक कार्य है। इसलिए, पर निर्भरता

औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम में निर्णय

(सुप्रा) गलत स्थान पर है।

21. इसी कारण से, एच. सी. सुमन में निर्णय भी प्रत्यर्थियों के लिए उतना सहायक नहीं है जितना कि उपराज्यपाल की पहली अधिसूचना, जिसे बाद की अधिसूचना द्वारा वापस लेने की मांग की गई थी, एक वैधानिक अपील पर उपराज्यपाल द्वारा पारित अर्ध-न्यायिक आदेश के

अनुसार जारी की गई थी। अर्ध न्यायिक आदेश ने एक निहित अधिकार बनाया जिसे एक अधिसूचना के माध्यम से प्रभावी किया गया था। इसलिए, इस न्यायालय ने H.C.Suman में निर्णय के पैरा 35 में निर्णय दिया कि अर्ध-न्यायिक आदेश द्वारा बनाए गए निहित अधिकार को सामान्य खंड अधिनियम के तहत उपलब्ध रद्द करने की सामान्य शक्ति का सहारा लेकर छीन नहीं लिया जा सकता है। अतः उक्त निर्णय में निहित तर्क को वर्तमान मामले पर लागू नहीं किया जा सकता है।

22. जबकि भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 (1) के तहत जारी अधिग्रहण के लिए अधिसूचना किसी व्यक्ति के अधिकार को छीनने का प्रयास करती है।

धारा 48 (1) के तहत अधिसूचना वास्तव में इसके विपरीत या विपरीत है। यह किसी व्यक्ति को लाभ प्रदान करता है और इसलिए यह किसी भी जांच से पहले नहीं माना जाता है। एक आदेश का सार जो है

प्रकृति में अर्ध-न्यायिक यह है कि इससे पहले प्रभावित पक्ष को सुनवाई का अवसर मिलता है। धारा 48 (1) के तहत अधिसूचना मूल भूमि मालिकों को किसी भी नोटिस या सुनवाई के अवसर की गारंटी नहीं देती है। यदि कोई व्यक्ति धारा 48 (1) के तहत अधिसूचना से बिल्कुल भी व्यथित होगा, तो वह अधिग्रहण का लाभार्थी होगा, जो इस मामले में परिषद है, न कि भूमि मालिक। इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं।

समझें कि क्या परिषद शिकायत करती है कि उनके अधिकार [2021] 9 एस. सी. आर. थे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

धारा 48 (1) के तहत अधिसूचना द्वारा विशेष रूप से उनमें निहित भूमि के बाद लिया गया।

23. इसलिए, हम इस तर्क को अस्वीकार करते हैं कि धारा 48 (1) के तहत अधिसूचना एक अर्ध-न्यायिक आदेश है। नतीजतन, हम अस्वीकार करते हैं

यह तर्क कि सरकार धारा 48 (1) के तहत किसी आदेश को निरस्त करने के लिए सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 से पीछे नहीं हट सकती है।

24. इस तर्क के दूसरे अंग पर आते हुए कि धारा 48 (1) के तहत अधिसूचना ने एक निहित अधिकार पैदा किया है और इसे रद्द करने के लिए बाद की अधिसूचना द्वारा एकतरफा रूप से नहीं

लिया जा सकता है, हमें यह कहना होगा कि पहली अधिसूचना उत्तरदाताओं द्वारा सुरक्षित की गई थी।

झूठे अभ्यावेदन द्वारा और धोखाधड़ी करके। जब उत्तरदाता अधिग्रहण को रोकना चाहते थे, तो उन्होंने दावा किया कि वहाँ थे

अपने पूर्वजों के कब्रिस्तान, लेकिन पहली अधिसूचना जारी होने के बाद, उन्होंने भूमि को तीसरे पक्ष को बेचना शुरू कर दिया, जो उत्तरदाताओं के साथ समान धार्मिक भावनाओं को साझा नहीं कर सकते हैं और न ही करते हैं। हम पहले ही दूसरी अधिसूचना दिनांक 15.09.2005 निकाल चुके हैं जिसमें भूमि मालिकों द्वारा की गई बिक्री की सूची शामिल है। आवास आयुक्त द्वारा की गई जांच से पता चला है कि भू-माफिया ने जमीन पर कब्जा कर लिया है। यह इंगित करना सरल है कि धोखाधड़ी और गलत निरूपण द्वारा प्राप्त आदेश किसी भी निहित अधिकार को प्रदान नहीं करेगा और इसलिए, भूमि मालिक निहित होने के आधार पर या अनुच्छेद 300 ए के आधार पर अपना दावा नहीं कर सकते हैं।

25. दिलचस्प बात यह है कि श्री. उत्तरदाताओं के विद्वान वकील आनंद वर्मा ने मुथा एसोसिएट्स मामले में इस अदालत के फैसले पर भरोसा किया और ओआरएस। बनाम महाराष्ट्र राज्य और Ors.[3], उनके इस तर्क के समर्थन में कि भले ही विवादित अधिसूचना को प्रशासनिक प्रकृति का माना जाए, उससे पहले भूमि मालिकों को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। लेकिन मुथा एसोसिएट्स (ऊपर) में निर्णय वास्तव में एक दोधारी हथियार है जहाँ तक उत्तरदाताओं का संबंध है। उस में

इस मामले में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 48 (1) के तहत निकासी की शक्ति के प्रयोग के लिए भी, लाभार्थी को आवश्यक रूप से एक अवसर दिया जाना चाहिए। वास्तव में मुथा एसोसिएट्स से दो सिद्धांतों को निकाला जा सकता है। वे इस प्रकार हैं: (i) धारा 48 के तहत अधिसूचना का प्रकाशन उसी तरह आवश्यक है जैसे धारा 4 और 6 के तहत अधिसूचनाओं का प्रकाशन अनिवार्य है; और (ii) भूमि की निकासी से पहले लाभार्थी की बात सुनी जानी चाहिए।

अधिग्रहण।

26. इस मामले में, दिनांकित 7.04.2003 अधिसूचना लागू नहीं होती है।

यू. पी. आवास एवं विकास परिषद नामक लाभार्थियों को सुनने का अवसर मिलने से पहले। इसलिए, ऐसी अवैध अधिसूचना को वापस लेना, जिसे धोखाधड़ी द्वारा सुरक्षित किया गया था, को गलत नहीं माना जा सकता है।

27. इसलिए, जुर्माने में, उत्तरदाताओं की सभी दलीलें-मालिक अस्वीकार किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं और अपीलें स्वीकार्य होने के लिए उत्तरदायी हैं।

तदनुसार दोनों अपीलों की अनुमति दी जाती है, उच्च न्यायालय के विवादित आदेशों को दरकिनार कर दिया जाता है और प्रतिवादी द्वारा दायर रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया जाता है। चूंकि अधिग्रहण पूरी तरह से पूरा हो चुका है

अपीलार्थी-परिषद उस सार्वजनिक उद्देश्य को लागू करने के लिए आगे बढ़ सकती है जिसका भूमि अधिग्रहण किया गया था। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

अपीलें अनुमति देती हैं

दिव्या पांडे